झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति–2025

Jharkhand State Cooperation Policy-2025

अनुक्रमणिका
(INDEX)

क्र0 सं0	विषय/शीर्ष का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1	मुख्य/कवर पृष्ठ	01–01
2	अनुक्रमणिका विवरणी	02–02
3	संक्षेपाक्षरों की सूची	03–05
4	प्रारंभिकी	06–06
5	पृष्ठभूमि	06–10
6	भूमिका	11–16
7	विजन, मिशन और उद्देश्य	16–19
8	रणनीतिक मिशन स्तंभ I : नींव का सशक्तीकरण	19–25
9	रणनीतिक मिशन स्तंभ II : जीवंतता को प्रोत्साहित करना	25–28
10	रणनीतिक मिशन स्तंभ III : सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना	28–31
11	रणनीतिक मिशन स्तंभ IV : समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार	32–34
12	रणनीतिक मिशन स्तंभ V : नए क्षेत्रों में विस्तार	34–36
13	रणनीतिक मिशन स्तंभ VI : सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना	36–38
14	निगरानी और कार्यान्वयन संरचना	38–39

संक्षेपाक्षरों की सूची (List of Abbreviations)

संक्षेपाक्षर	परिभाषा
ARDB	Agriculture and Rural Development Bank.
BBSSL	Bharatiye Beej Sahakari Samiti Limited.
CEF	Cooperative Education Fund.
CRCS	Central Registrar of Cooperative Societies.
DCCB	District Central Cooperative Bank.
DEH	Districts as Export Hubs
EBP	Ethanol Blending Programme
ERP	Enterprise Resource Planning
FPO	Farmer Producer Organization
FISHCOPFED	National Fedration of Fishermen's Cooperatives Limited
FFPO	Fish Farmer Producer Organization
GDP	Gross Domestic Product
Gem	Government e-Marketplace
GI	Geographical Indication
GoI	Government of India
HEI	Higher Education Institute
IFFCO	Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited
IoT	Internet of Things
IPR	Intellectual Property Rights
KPI	Key Performance Indicators
KRIBHCO	Krishak Bharati Cooperative Limited
MoC	Ministry of Cooperation
MSCS	Multi-State Cooperative Societies

NABARD	National bank for Agriculture and Rural Development
NAFCUB	National Fedration of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited
NAFED	National Agriculture Cooperative Marketing Fedration of India Limited
NAFSCOB	National Fedration of State Cooperative Banks Limited
NCCT	National Council for Cooperative Training
NCD	National Cooperative Database
NCDC	National Cooperative Develoment Cooperation
NCDFI	National Cooperative Dairy Fedration of India
NCEL	National Cooperative Exports Limited
NCOL	National Cooperative Organics Limited
NCP	National Cooperation Plicy
NCUI	National Cooperative Union of India
NDDB	Natinal Dairy Development Board
NFDB	Natinal Fisheries Development Bank
NUCFDC	National Urban Cooperative Finance & Development Cooperation
ODOP	One District One Product
ONDC	Open Network for Digital Commerce
PACS	Primary Agriculture Credit Societies
PMU	Project Management Unit
RBI	Reserve bank of India
RCS	Registrar Cooperative Societies
SC/ST	Schedule Castes and Schedule Tribes
SEI	Social Enterprise Incubators
SRO	Self Regulatory Organization

StCB	State Cooperative bank
UCB	Urban Cooperative bank
VAMNICOM	Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative management
MPPCS	Multi Purpose Primery Cooperative Society
FPOs	Farmer Producer Organisations.
WLGSP	World Largest Grain Storage Plan & Grain Storages.
PMKSC	PM-Kisan Samriddhi Center.
SOP	Standard Operating Procedure.
BDCC	Business Credit Card.
WGA	Whole of Government Approach.
DMFT Fund	District Mineral Foundation Trust Fund.
JHASCOP	Jharkhand State Cooperative Product.
TPC	Tribal Product Cooperatives.
GI	Geographical Indiction.
EBP	Ethanol Blending Programme.
ONDC	Open Network for Digital Commerce.
E-NAM	Electronic National Agriculture Marketing.
CMF	Cooperative Marketing Federation.
PM-AASHA	Pradhan Mantri Annadatd Aay Sanrakshan Abhiyan.
SEIs	Social Enterprise Incubators.
KPI	Key Performance Indicators.
MIS	Management Information Systems.
NSDC	National Skill Development Corporation.
SSC	Sector Skill Corporation.
JHSCOFED	Jharkhand State Cooperative Federation.

प्रारंभिकी : यह **''झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति, 2025''** केन्द्र सरकार द्वारा घोषित **''राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025'** (जो राज्य सरकार को भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय के D.O.No. M-13033/48/2024-MoC, दिनांक–28.07.2025 के द्वारा प्राप्त हुई), के अनुरुप राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 की **धारा–3.1.3** के आलोक में झारखण्ड राज्य की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष में राज्य की सहकारी समितियों के विकास के साझा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार के मिलकर काम करने तथा सहकारी समितियों के सशक्तीकरण में केन्द्र और राज्य एक सह–कियाशील (Synergistic) भूमिका निभा सके, के दृष्टिकोण से तैयार की गयी है। यह नीति सहकारिता प्रक्षेत्र में समावेशिता, नवाचार और गतिशीलता (Sustainability) तथा सहकारी समितियों को सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त करने पर बल देती है।

पृष्ठभूमि (Background) :

I. झारखण्डी समाज की नींव में ही सहकारिता रची–बसी है,, जो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को मिल–जुलकर प्राप्त करने की भावना को बढ़ावा देती है।

II. सहकारितावाद (Cooperativism) सामूहिक भागीदारी, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण और साझा दायित्वों एवं लाभों पर आधारित एक सामाजिक–आर्थिक जीवन प्रणाली है, जहाँ व्यक्ति स्वैच्छा से आपसी सहयोग और आर्थिक विकास के लिए एकजुट होकर सहकारी समितियाँ बनाते हैं। यह सह–क्रियात्मक दृष्टिकोण (Synergistic approach) को दर्शाता है, जिससे समता, समावेशिता और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों की वकालत (समर्थन) करते हुए दक्षता, नवाचार और बाजार की गतिशीलता का लाभ मिलता है। यह संलयन (fusion) वर्त्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत विकल्प देता है और एक ऐसा मॉडल/आदर्श प्रदान करता है, जो आर्थिक विकास और सामूहिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता देता है।

III. झारखण्ड में वर्तमान में कुल 4,454 बहुद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) हैं, जिनमें कुल 16,61,131 सदस्य जुडे हुए हैं। इसके अतिरिक्त झारखण्ड में कृषि क्षेत्र से संबद्ध 981 समितियां, कृषि एवं औद्योगिक प्रसंस्करण की 513 समितियां, मधुमक्खी पालन की 8 समितियां, 288 उपभोक्ता सहकारी समितियां, 306 साख एवं बचत सहकारी समितियां, 401 डेयरी सहकारी समितियां, 5 शिक्षण एवं प्रशिक्षण सहकारी समितियां, 5 कृषक सेवा सहकारी समितियां, 908 मत्स्यजीवी सहकारी समितियां, 19 हस्तशिल्प सहकारी समितियां, 203 हस्तकरघा एवं खादी बुनकर सहकारी समितियां, 526 गृहनिर्माण सहकारी समितियां, 01 खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति, 933 श्रमिक सहकारी समितियां, 211 पॉल्ट्री एवं पशुधन सहकारी समितियां, 60 पणन/मार्केटिंग सहकारी समितियां, 11 विविध साख समितियां, 230 विविध गैर–साख समितिया, 134 बहुद्देशीय सहकारी समितियां, 10 रेशम कीट पालन सहकारी समितियां, 107 सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक सहकारी समितियां, 01 पर्यटन सहकारी समिति, 260 ट्रान्सपोर्टर/यातायात सहकारी समितियां, 53 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी

समितियां, 02 अर्बन सहकारी बैंक, 1358 महिला विकास सहकारी समितियां हैं. इस तरह से राज्य में बहुद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) तथा अन्य प्रकार की सहकारी समितियों को मिलाकर कुल 11,988 सहकारी समितियां निबंधित है, जिनमें कुल 27,55,614 सदस्य सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए जुडे हुए हैं। किन्तु वर्तमान में कुल 11,988 निबंधित सहकारी समितियों में से मात्र 7,903 समितियां ही कार्यरत हैं, जिनसे कुल 26,15,132 सदस्य जुडे हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में 14,95,642 शहरी परिवारों तथा 61,81,607 ग्रामीण परिवारों की संख्या है। इस तरह से झारखण्ड में कुल परिवारों की संख्या 76,77,249 के विरुद्ध वर्तमान में मात्र 27,55,614 सदस्य ही सहकारिता से जुडे हुए हैं, जो सदस्यता आच्छादन का मात्र 35.89 प्रतिशत है। राज्य में वर्तमान में झास्कोलैम्फ लि0, रांची, वेजफेड लि0, रांची, झाम्फकोफेड लि0, रांची एवं झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, रांची जैसी 04 राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संघ/संस्थाएं तथा 01 अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, रांची भी कार्यरत है। राज्य में एक छोटानागपुर हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ भी कार्यरत है। यह सहकारिता नीति राज्य के शत्–प्रतिशत् शहरी एवं ग्रामीण परिवारों को आवश्यकतानुसार विभिन्न सहकारी समितियों से जोडने एवं सहकारिता परिवारों का परिवेश तैयार करने पर बल देती है। राज्य में झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि0 का मुख्यालय रांची है तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय, चाईबासा, हजारीबाग एवं दुमका में कार्यरत है। झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि0 की राज्य भर में वर्तमान में कुल 105 शाखाएं हैं। राज्य में एक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, धनबाद भी कार्यरत है।

IV. भारत में सहकारिता आंदोलन 100 वर्षों से अधिक समय से लोगों की भागीदारी से सामाजिक उत्थान का आधार रहा है। भारत की सहकारी समितियाँ मूल सहकारी सिद्धांतो पर चलती हैं और ये समितियाँ सदस्यों के सामूहिक स्वामित्व में होती है, उनके द्वारा चलाई जाती हैं और उनको लाभान्वित करती है। भारत में सहकारिता आन्दोलन के सूत्रपात के मुख्य कारणों में– अर्थव्यस्था में पूंजीवाद का सार्वजनिक जीवन पर शोषणात्मक प्रभाव, औद्योगिक क्रान्ति के कारण पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का समाप्त होना, जिससे ग्रामीण आबादी को आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहना, खेती का अलाभकारी होना, कठोर भू–राजस्व नीति से किसानों पर आर्थिक बोझ, वर्षा की अनिश्चितता से फसलों का खराब होना, साहूकारों का शोषण, खेती एवं लघु व कुटीर/घरेलु उद्योगों के लिए सस्ते और सुलभ ऋण की आवश्यकता आदि हैं। वर्ष 1844 में रोचडेल पायनियर्स के द्वारा इंगलैंड के लंकाशायर में आधुनिक सहकारिता आन्दोलन की स्थापना की गयी थी और भारत में भी पूंजीवादी शोषणात्मक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध सहकारिता आन्दोलन की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1904 में सहकारी समिति ऋण अधिनियम बनने के साथ ही हुई और सहकारी अर्थव्यवस्था की नींव पडी।

V. देश के ग्रामीण अर्थतंत्र के विकास हेतु, सहकारी आंदोलन को मजबूती देने और उसे घर–घर तक पहुचाने के लिए, भारत की केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। इसके साथ ही सम्पूर्ण देश के लिए बहुद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए एक आदर्श उपविधियां (Model Bye-Laws of Multi Purpose Primary Cooperative Society) लागू की गयी।

VI. पिछले दशक के दौरान ग्रामीण सड़क, आवासन, दूरसंचार, बिजली, शौचालय, इत्यादि बुनियादी भौतिक अवसंरचनाओं के अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसने ग्रामीण आकांक्षाओं को कई गुणा बढ़ा दिया है। अब आधारभूत ढ़ांचा (Basic Infrastructure) तैयार हो चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत, संगठित और बाजार से जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में सहकारिता आधारित अर्थिक मॉडल भारत एवं राज्य के विकास का दूसरा इंजन बन कर एक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा और यह सहकारिता आन्दोलन को एक अभियान के तहत् झारखण्ड में सफलीभूत होने से संभव हो सकेगा।

VII. **"राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025"** के अनुरुप ही **"झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति 2025"** का उद्देश्य–राज्य में **'सहकार से समृद्धि'** की परिकल्पना को साकार करना है। इसके तहत् राज्य की जनता की आकांक्षाओं और राज्य के संसाधनों को सहकारी ढ़ाँचे से जोड़ा जाएगा, ताकि सहकारी क्षेत्र राज्य के सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में अहम भूमिका निभा सके और जिससे समावेशी विकास का एक नया युग प्रारंभ हो सके।

VIII. यह नीति मानती है कि सहकारी संस्थाएँ आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली साधन हैं, क्योंकि इनमें आपसी सहयोग, समुदायिक भावना, मितव्ययिता, लाभ का समान वितरण और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने जैसी विशेषताएँ होती हैं। इसके साथ–साथ यह नीति राष्ट्रीय एवं राज्य के सहकारी संघों/परिसंघों की भूमिका को भी अहम मानती है। इस सहकारिता नीति का यह उद्देश्य है कि राज्य के विभिन्न शीर्ष सहकारी संस्थाओं से प्राथमिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों तथा सहकारी संघों/परिसंघों को सम्बद्ध कर उनके उत्पादन में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करे और उनके उत्पादों के विपणन की समूचित व्यवस्था करे। राज्य के आधारभूत ढांचा (Basic Infrastructure) हेतु तैयार की जानेवाली जन विकासात्मक योजनाओं में राज्य सरकार की एजेन्सियों/विभागों में शीर्ष सहकारी संघों/परिसंघों की भूमिका सुनिश्चित करना ताकि सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली विकासात्मक एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं को प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों तक पहुंचाई जा सके।

IX. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में सितम्बर, 2022 को नई सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक 48 सदस्यीय समिति का गठन किया गया एवं समिति की अध्यक्षता श्री सुरेश प्रभु, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, को सौंपी गई। समिति में देश भर के विभिन्न

सहकारी संघों, संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों के विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। **''राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025'' की धारा–3.1.3** के अनुसार राज्यों को अपनी राज्य सहकारी नीति का इस प्रकार से तैयार/सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे राज्य की सहकारी समितियों के विकास के साझा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर काम कर सकें तथा जिससे सहकारी समितियों के सशक्तीकरण में केन्द्र और राज्य एक सह–क्रियाशील (Synergistic) भूमिका निभा सके। उक्त के आलोक में **''राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025''** के अनुरुप **''झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति 2025''** का मसौदा तैयार करने के लिए श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) झारखण्ड सरकार से प्राप्त अनुमोदन से श्री अबूबकर सिद्दीक पी (भा0 प्र0 से0), सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) झारखण्ड, रांची के निदेशन में श्री शशि रंजन (भा0 प्र0 से0), निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, रांची के आदेशांक–2199 (6) दिनांक–25.09.2025 के द्वारा 09 सदस्यीय समिति का निम्न प्रकार से गठन किया गया :

1	श्री कामदेव दास	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय प्रबंधक	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, रांची	सदस्य
3	अध्यक्ष	झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, रांची	सदस्य
4	श्री अभिनव मिश्रा	व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, रांची	सदस्य
5	श्रीमती श्वेता गुडिया	प्रमंडलीय विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता), उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग.	सदस्य
6	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, रांची.	सदस्य
7	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	दि धनबाद सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, धनबाद.	सदस्य
8	श्री अरविन्द कुमार	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय– संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची	सदस्य
9	श्री मुकेश कुमार	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, कार्यालय–जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां, रांची.	सदस्य

X. राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में सामूहिक भागीदारी, सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों पर बल देते हुए दक्षता, नवाचार, और बाजार की गतिशीलता का संलयन (Fusion) का समावेश इस नीति का उद्देश्य है।

XI. इस नीति का मसौदा समिति के सदस्यों से लिखित रुप में प्राप्त सुझावों एवं विचार–विमर्शों, इस उद्देश्य विशेष के लिए राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशाला–सह–परामर्श सम्मेलन में विचार–विमर्श व लिखित रुप में प्राप्त सुझावों के आधार पर झारखण्ड राज्य की सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया। समिति ने कुल 06 (छः) बैठकें की तथा निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, रांची के निदेशानुसार रांची में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला–सह–विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और परामर्श प्रक्रिया के तहत् सुझाव प्राप्त किए गये। इन सभी सुझावों पर विस्तार से चर्चाएं–परिचर्चाएं कर उन्हें इस नीति में शामिल किये गये।

झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति, 2025

1. **भूमिका** : झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति, 2025 के तहत् सहकारी समितियों की सामाजिक–आर्थिक विकास में निम्नांकित महत्वपूर्ण भूमिका हैं :–

1.1 सहकारी समिति स्वैच्छिक रूप से एकजुट लोगों की एक स्वायत्त संस्था तथा निगमित निकाय है, जो संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से संचालित उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।

1.2 झारखण्ड में वर्तमान में कुल 4,454 बहुद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) हैं, जिनमें कुल 16,61,131 सदस्य जुडे हुए हैं। इसके अतिरिक्त झारखण्ड में कृषि क्षेत्र से संबद्ध 981 समितियां, कृषि एवं औद्योगिक प्रसंस्करण की 513 समितियां, मधुमक्खी पालन की 8 समितियां, 288 उपभोक्ता सहकारी समितियां, 306 साख एवं बचत सहकारी समितियां, 401 डेयरी सहकारी समितियां, 5 शिक्षण एवं प्रशिक्षण सहकारी समितियां, 5 कृषक सेवा सहकारी समितियां, 908 मत्स्यजीवी सहकारी समितियां, 19 हस्तशिल्प सहकारी समितियां, 203 हस्तकरघा एवं खादी बुनकर सहकारी समितियां, 526 गृहनिर्माण सहकारी समितियां, 01 खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति, 933 श्रमिक सहकारी समितियां, 211 पॉल्ट्री एवं पशुधन सहकारी समितियां, 60 पणन/मार्केटिंग सहकारी समितियां, 11 विविध साख समितियां, 230 विविध गैर–साख समितिया, 134 बहुद्देशीय सहकारी समितियां, 10 रेशम कीट पालन सहकारी समितियां, 107 सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक सहकारी समितियां, 01 पर्यटन सहकारी समिति, 260 ट्रान्सपोर्टर/यातायात सहकारी समितियां, 53 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी समितियां, 02 अर्बन सहकारी बैंक, 1358 महिला विकास सहकारी समितियां हैं. इस तरह से राज्य में बहुद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) तथा अन्य प्रकार की सहकारी समितियों को मिलाकर कुल 11,988 सहकारी समितियां निबंधित है, जिनमें कुल 27,55,614 सदस्य सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए जुडे हुए हैं। किन्तु वर्तमान में कुल 11,988 निबंधित सहकारी समितियों में से मात्र 7,903 समितियां ही कार्यरत हैं, जिनसे कुल 26,15,132 सदस्य जुडे हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में 14,95,642 शहरी परिवारों तथा 61,81,607 ग्रामीण परिवारों की संख्या है। इस तरह से झारखण्ड में कुल परिवारों की संख्या 76,77,249 के विरुद्ध वर्तमान में मात्र 27,55,614 सदस्य ही सहकारिता से जुडे हुए हैं, जो सदस्यता आच्छादन का मात्र 35.89 प्रतिशत है। राज्य में वर्तमान में झास्कोलैम्फ लि0, रांची, वेजफेड लि0, रांची, झाम्फकोफेड लि0, रांची एवं झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, रांची जैसी 04 राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संघ/संस्थाएं तथा 01 अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, रांची भी कार्यरत है। राज्य में एक छोटानागपुर हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ भी कार्यरत है। यह सहकारिता नीति राज्य के शत्–प्रतिशत् शहरी एवं ग्रामीण परिवारों को आवश्यकतानुसार विभिन्न सहकारी

समितियों से जोडने एवं सहकारिता परिवारों का परिवेश तैयार करने पर बल देती है। राज्य में झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि0 का मुख्यालय रांची है तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय, चाईबासा, हजारीबाग एवं दुमका में कार्यरत है। झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि0 की राज्य भर में वर्तमान में कुल 105 शाखाएं हैं। राज्य में एक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, धनबाद भी कार्यरत है।

1.3 वर्ष 2002 में जारी भारत की पूर्व सहकारिता नीति, सहकारी समितियों द्वारा प्रभावशाली रूप से आर्थिक कार्यकलापों को व्यवस्थित करने के बुनियादी आयामों पर केंद्रित थी। पिछले 20 वर्षों के दौरान विश्व ने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्त्तन देखे हैं। ये परिवर्त्तन वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति, विशेषकर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुए हैं। इसे देखते हुए यह आवश्यक था कि इस नीति पर पुनर्विचार करके सहकारी समितियों की उभरती जरूरतों को पूरा करने और मौजूदा परिदृश्य में इस क्षेत्र की सततता/निरंतरता **(Sustainability)** सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति बनायी जाय।

1.3.1 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में झारखण्ड को बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता आदि विकसित शहरों/महानगरों के समकक्ष लाने हेतु झारखण्ड में भी सहकारिता क्षेत्र की नई नीति में रांची/जमशेदपुर धनबाद/बोकारो/देवघर/हजारीबाग/दुमका आदि शहरों को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाये जाने की योजना है।

1.4 सहकारी समितियों की स्थापना को भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 के द्वारा अनुच्छेद 19 (1)(c) के अधीन एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने और एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना से एक नए युग की शुरूआत हुई है। ''किसानों, महिलाओं और ग्रामीण विकास'' को अपने केन्द्र में रखते हुए सहकारी आंदोलन में बदलाव के साथ–साथ सहकारी समितियों को मजबूत बनाना, राष्ट्रीय परिसंघों को मार्गदर्शक बनाना और इन संस्थानों को आगे बढ़ने में केन्द्र व राज्य सरकार, दोनों का अपेक्षित सहयोग एंव मान्यता देना, इस युग की आवश्यकता है। अतः नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के अनुरुप एक राज्य सहकारिता नीति की आवश्यकता थी।

1.4.1 प्राथमिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों तथा जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तरीय सहकारी संघों/परिसंघों में सतत् लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल रखने के लिए सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली में आवश्यक संशोधन कर राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से ससमय चुनाव कराने अथवा एक स्वतंत्र **'सहकारी समितियां निर्वाचन प्राधिकरण'** का गठन करने हेतु पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) तैयार करना।

1.5 भारत की केन्द्र सरकार द्वारा अभिव्यक्त **''सहकार से समृद्धि''** की परिकल्पना हितधारकों को प्रेरित करने और इस सेक्टर में विश्वास बनाए रखने का एक प्रभावशाली संदेश देती है। इसने मंत्रालय और सहकारी क्षेत्र को उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में केन्द्र और राज्य को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है, जिस दृष्टिकोण से यह राज्य सहकारिता नीति बनायी गयी है।

1.6 राष्ट्रीय सहकारिता नीति के अनुरुप झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति निर्माताओं के समक्ष एक सुनियोजित नीति बनाने की जिम्मेदारी थी कि वे युवा आबादी, बढ़ती आकांक्षाओं और तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त परिकल्पना को धरातल पर साकार करने के लिए एक रोडमैप का निर्माण करें।

1.7 सुनियोजित परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से **''सहकार से समृद्धि''** की परिकल्पना को साकार करने हेतु रोडमैप बनाने के लिए केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के अनुरुप तैयार इस झारखण्ड राज्य सहकारिता नीति का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने पर ध्यान देते हुए सहकारी क्षेत्र में क्रमिक, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है।

1.8 15 नवम्बर, 2000 को बिहार से अलग होकर झारखण्ड राज्य की स्थापना के पश्चात् झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार सहकारी समितियां अधिनियम, 1935, बिहार सहकारी समितियां नियमावली, 1959 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिनियम, 1996 को अंगीकृत किया गया तथा राज्य के विकास के लिए सहकारिता प्रक्षेत्र में बहुत से विकासात्मक एवं सुधारात्मक कार्य किए गए हैं। वर्ष, 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करने को मौलिक अधिकार में शामिल करने तथा केव्द्र सरकार के निर्देशन में प्रो0 वैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसा लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड सहकारी समितियां अधिनियम, 1935 में वर्ष, 2011 में अल्पकालीन कृषि साख संरचना के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समितियों के लिए तथा वर्ष, 2015 में सभी प्रकार की सहकारी समितियों के लिए आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है। झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 में भी वर्ष, 2012 में तथा झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिनियम, 1996 में वर्ष, 2015 में भी आवश्यक संशोधन किया गया है। वर्ष, 2021 में स्थापित होने के बाद से ही केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय तथा केन्द्र के निर्देशानुसार झारखण्ड सरकार द्वारा उपर्युक्त परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक पहलें की गईं हैं, जिनमें प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं :—

(क) सहकारी समितियों का सशक्तीकरण :

I. वर्ष, 2013 में पंचायत स्तर पर राज्य की सभी पंचायतों में कुल 4,454 प्राथमिक सहकारी समितियों एवं बृहदाकार बहुद्देशीय सहकारी समितियों (PACS/LAMPS) का गठन एवं पूनर्गठन कर सम्पूर्ण राज्य को सहकारी समितियों से आच्छादित किया गया।

II. राज्य की प्राथमिक कृषि सहयोग समितियों (PACS) एवं बृहदाकार बहुद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (LAMPS) में एकरुपता के उद्देश्य से केन्द्र के मॉडल पर एक मॉडल उपविधियां (Model Bye-laws) की स्वीकृति के साथ ही राज्य की उक्त दोनों प्रकार की सहकारी समितियों को बहुद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) में सम्परिवर्तित किया गया।

III. राज्य में पंचायत स्तर पर किसान उत्पादक संगठन (FPOs), मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, डेयरी को–ऑपरेटिव सोसायटी एवं अन्य विशेष प्रकार की सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

IV. सहकारिता आधारित **"श्वेत क्रांति 2.0"** के लिए दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन तथा उसके लिए SOP तैयार करना।

V. झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि0 एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 धनबाद से बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) एवं अन्य सहकारी समितियों को सम्बद्धता दिलाकर व्यावसायिक विकास का प्रयास तथा गैर–ऋण क्षेत्रों में व्यवसाय का विविधीकरण (Diversification)।

VI. बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) स्तर पर राज्य की विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना।

VII. सहकारी क्षेत्र में 2500 MT क्षमता के World Largest Grain Storage Plan एवं Grain Storages के साथ सामन्जस्यता (Dovetailing).

VIII. बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) में 100 MT क्षमता के गोदाम–सह–कार्यालय निर्माण की योजना।

IX. जिला एवं प्रखण्ड स्तर की बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) एवं विपनण सहकारी समितियों में 500 MT क्षमता के गोदाम–सह–कार्यालय निर्माण की योजना।

X. सहकारी प्रक्षेत्र में शीतगृहों (Cold Storages) का निर्माण।

XI. फल–सब्जी विक्रय केन्द्र के रुप में उपयुक्त स्थान पर आउटलेट का निर्माण।

XII. बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) में PM-Kisan Samriddhi केन्द्रों की स्थापना।

XIII. बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) में जन औषधि केन्द्रों का संचालन।

XIV. NCD Portal पर राज्य की सहकारी समितियों का Database का अपलोडिंग का कार्य।

XV. National Cooperative Organic Limited (NCOL) के साथ सहकारी समितियो/संघों की सम्बद्धता।

XVI. National Cooperative Exports Limited (NCEL) के साथ सहकारी समितियो/संघों की सम्बद्धता।

XVII. Bhartiya Beej Sahkari Samiti Limited (BBSSL) के साथ सहकारी समितियो/संघों की सम्बद्धता।

XVIII. बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) में System Audit of e-PACSs का प्रारंभ।

XIX. बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) का कम्प्यूटराइजेशन तथा उक्त समितियों द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्रों (CSC) का संचालन।

XX. बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान अधिप्राप्ति योजना के कार्यान्वयन में अधिप्राप्ति केन्द्र के रुप में कार्य करना।

XXI. फसल बीमा योजना के कार्यान्वन में बहुउद्देशीय प्राथमिक सहयोग समितियां (MPCS) द्वारा एजेंसी के रुप में कार्य करना।

XXII. GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीद्दार के रूप में शामिल करना।

XXIII. राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं के निदेशक पर्षद्/प्रबंध समिति में नौकरशाह के पदेन पदों (अध्यक्ष/निदेशक) को समाप्त कर प्रजातांत्रिक स्वरुप बहाल करना।

XXIV. सहकारी समितियों में वेबसाईट, टेक्नॉलोजी, मानव संसाधन विकास, इ–फाइनेंस सिस्टम, इ–मेंम्बरशीप के प्रावधान को प्रोत्साहित करना।

XXV. क्रेडिट को–ऑपरेटिव/मिनरल को–ऑपरेटिव/गृह निर्माण सहयोग समितियां एवं अन्य विशेष प्रकार की सहकारी समितियों के कार्यकलाप एवं संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना।

XXVI. जिन सहकारी समिति में 05 प्रतिशत दिव्यांग सदस्य हों उन समितियों की प्रबंध समितियों (Managing Committees) में एक पद दिव्यांग सदस्यों के लिए आरक्षित करना।

(ख) सहकारिता में सहकार :

I. निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादों और बीज के क्षेत्र में क्रमशः तीन राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी समितियाँ।

II. निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादों और बीज के क्षेत्र में राज्य में क्रमशः तीन स्तरों की नई अंतरजिला सहकारी समितियाँ।

III. **'सहकारिता में सहकार'** अभियान के राष्ट्रव्यापी एवं राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों के **"बैंक मित्र"** के रूप में शामिल करना, प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को RuPay एवं KCC का वितरण, आदि हेतु SOP लॉन्च करना।

IV. सहकारी बैंक से सम्बद्ध सहकारी समितियों के व्यावसायिक विकास हेतु व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड (BCC) वितरण हेतु नीति निर्धारण एवं SOP लॉन्च करना।

(ग) सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में बदलाव :

I. रू0 1.00 (एक) करोड़ से रू0 10.00 (दस) करोड़ तक की आय वाली समितियों पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया।

II. MAT (Minimum Alternate Tex) की दर को 18.5% से घटा कर 15% किया गया।

III. सहकारी समितियों के स्रोतों पर टैक्स कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को रू0 1.00 (एक) करोड़ से बढ़ाकर रू0 3.00 (तीन) करोड़ रु0 किया गया, इत्यादि।

(घ) सहकारी बैंकों को व्यवसाय में आ रही कठिनाइयाँ दूर करने हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :

I. शहरी सहकारी बैंको के लिए अम्ब्रेला संगठन की स्थापना।

II. व्यवसाय विस्तार के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएँ खोल सकेंगे।

III. सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह दिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान (One Time Settlemet) कर सकेंगे।

(ङ) सहकारी चीनी मिलों का सशक्तीकरण :

I. उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price) और राज्य परामर्श मूल्य (State Advised Price) तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान पर राहत के रूप में अतिरिक्त आयकर नहीं।

II. वर्ष 2016–17 से पूर्व सहकारी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति।

III. शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया, इत्यादि।

IV. राज्य के गन्ना उत्पादक जिलों/क्षेत्रों में गन्ना उत्पादक एवं प्रसंस्करण सहकारी समितियों का गठन एवं विकास करना।

(च) केंद्रीय पंजीयक कार्यालय तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (NCDC) द्वारा की गयी पहलें :

I. बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023.

II. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को धन वापसी।

III. NCDC द्वारा पैक्स स्तर पर नए FPO का गठन।

IV. NCDC द्वारा FFPO का गठन, इत्यादि।

1.9 उपर्युक्त पहलों के आशय और भावना को बढ़ाते हुए यह नीति सहकारी क्षेत्र के विभिन्न आयामों में सुधार और पुनर्निमाण के दायरे को विस्तारित करने का उद्देश्य रखती है।

2. विजन, मिशन और उद्देश्य :

विजन : **"सहकार से समृद्धि"** की परिकल्पना को साकार करते हुए सतत् (Sustainable) सहकारी विकास हेतु अनुकूल वातावरण के निर्माण द्वारा वर्ष, 2047 तक **"विकसित"** भारत बनाने की राष्ट्र एवं राज्य की सामूहिक महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना।

मिशन : सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत और सघन करने के लिए एक सक्षम विधिक, आर्थिक और संस्थागत संरचना का सृजन करना तथा लोगों (सदस्यों) द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी उद्यमों को पेशेवर रूप से प्रबंधित, पारदर्शी, तकनीक रुप से संपन्न, जीवंत और जिम्मेदार आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहायता करना।

नीति के मिशन की प्राप्ति छह रणनीतिक मिशन स्तंभों द्वारा की जाएगी, जो निम्नानुसार हैं :–

I. **नींव का सशक्तीकरण** : सहकारी आंदोलन की नींव को और भी मजबूत करना।

II. **जीवंतता को प्रोत्साहित करना** : जीवंत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का सृजन करना

III. **सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना** : सहकारी समितियों को पेशेवर और सतत् (Sustainable) अर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करना।

IV. **समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार करना** : सहकार आधारित समावेशी विकास और सहकारी समितियों को जन आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करना।

V. **नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार** : सहकारी समितियों के नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार को प्रोत्साहित करना।

VI. **सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना** : युवा पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें अनुभव आधारित सहकारी ज्ञान (Experiential Leaning) प्रदान करना, जो ग्रामीण सहकारी परिवेश से उनके जुड़ाव को विकसित करेगा।

उद्देश्य : **नीति के मिशन को आगामी 10 वर्षों में निम्नलिखित 16 उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिन्हें छह रणनीतिक मिशन स्तंभों के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया है** :

नींव का सशक्तीकरण :

1. समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक (Legal) और विनियामक (Regulatory) माहौल निर्मित कर सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान करना, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करना।
2. अन्य आर्थिक संस्थानों की ही तरह उन्हें सुगम और किफायती वित्त तथा समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।

2.1 सहकारी उद्यमशीलता (Entrepreneurship) को बढावा देने के लिए राज्य सरकार के सभी विभाग, जो सुगम और किफायती वित्त प्रदाता है, को सहकारी समिति उद्यमियों को सन् 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स के माध्यम से प्राथमिकता के साथ अवसर प्रदान करना।

2.2 सहकारी उद्यमियों के लिए उद्योग विभाग/कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग/सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग एवं रोजगार प्रदाता विभाग/निगम/बोर्ड आदि से सभी प्रकार की सहकारी समितियों को सुगम और किफायती वित्त तथा समान व्यावसायिक अवसर सीधे प्रदान करने की योजना तैयार करना।

3. सहकारिता में सहकार, सहकारी संरचना का सशक्तीकरण और उनकी भौगोलिक पहुँच का विस्तार करना।

...तंतता को प्रोत्साहित करना :

4. सहकारी व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के विकास को प्रोत्साहित करना।

5. अन्तर जिला, अन्तराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सहित बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहित करना तथा सदस्यों की आय में वृद्धि करना।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना :

6. प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी (Technology) को अपनाना।

7. सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतो पर आधारित पेशेवर–प्रबंधित आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहयोग करना।

समावेशिता (Inclusiveness) को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार करना :

8. समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता को बढ़ावा देना तथा सहकारी व्यवस्था के माध्यम से देश के सभी हिस्सों और जनता तक पहुँच बनाना।

9. युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना। झारखण्ड के युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एवं सहकारिता आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाने के लिए राज्य के JSLPS, JSDM, FICSI, NSIC, NCEL, IEC, JSMDC, PMFME, NSDC, PM विश्वकर्मा योजना, NCCF, BBSSL, NCDC, NCOL, सहकार टैक्सी आदि रोजगारोन्मुख सभी संस्थानों में सहकारी समितियों/सहकारी संघों/परिसंघों का जुडाव सीधे तौर पर किये जाने पर बल देना ताकि शीर्ष सहकारी संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके।

नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार करना :

10. नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना। नये और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार को गति देने के लिए गैर क्रेडिट सहकारी समितियों मुख्यतः आवास, डेयरी, श्रमिक, उपभोक्ता, विपणन, वस्त्र, सेवा, प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी आदि सहकारी समितियों से संबंधित राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग से सीधे जुडाव करना ताकि उन मंत्रालय/विभाग से योजनाएं बनाते समय राज्य के संबंधित शीर्ष सहकारी संघों/परिसंघों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

11. सततता (Sustainability) हेतु पर्यावरण–अनुकूल आचरणों और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को प्रोत्साहित करना। सततता हेतु पर्यावरण अनुकूल आचरणों और चक्रीय अर्थव्यवस्था को पर्यावरण आधारित सहकारी संस्थाओं को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या संबंधित विभागों से सीधे जुड़ाव कर सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहित करना।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना :

12. युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना। इसके लिए राज्य सरकार की सहकारिता नीति में राष्ट्रीय सहकारी उद्यमों जैसे IFFCO, KRIBHCO, NAFED, NCCF, AMUL, KMF, सारस्वत सहकारी बैंक जैसे आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाना शामिल करना ताकि उन्हें करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।
13. मानकीकृत (Standardized), उच्च–कोटि, सहकार–केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना और प्राधिकृत विषयवस्तु को निर्माण करना।
14. सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास (Skill Development) और कौशल बढ़ाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को बढ़ावा देना।
15. सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अंशकालिक विषय विशेषज्ञ (Part Time Resource Persons), उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
16. सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुगम पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) विकसित करना।

3. रणनीतिक मिशन स्तंभ I : नींव का सशक्तीकरण :

सहकारी आंदोलन की नींव को मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, एक सक्षम वातावरण बनाकर और जमीनी स्तर तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर और भी सशक्त किया जाएगा। अनुकूल विधिक और विनियामक संरचना का सृजन, किफायती वित्त, सहकारिता में सहकार और भौगोलिक पहुँच में विस्तार इस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग हैं।

3.1 समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों में स्वायत्तता, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना और उन्हे समान अवसर प्रदान करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

3.1.1 स्वायत्तता, सुगम व्यवसाय में वृद्धि और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य को अपने संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में यथोचित संशोधन के लिए प्रोत्साहित करना जिससे :

3.1.1.1 सदस्यों द्वारा स्वायत्त कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक रूप से कार्य सुनिश्चित हो सके।

3.1.1.2 सहकारी समितियों में सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी डिलिवरी की एक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

3.1.1.3 निदेशक मंडल/प्रबंध समिति और पदाधिकारियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हो सके।

3.1.1.4 पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएँ सुनिश्चित हो सके।

3.1.1.4 पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएँ सुनिश्चित हो सके।

3.1.1.5 लोकतांत्रिक, पारदर्शी और डेटा आधारित निर्णय लेना संभव हो सके।

3.1.1.6 राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर की प्राथमिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करना तथा समुदाय की आबादी/सदस्यता के अनुपात के आधार पर निदेशक पर्षद्/प्रबंध समिति में सुदाय के पुरुषों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

3.1.1.7 पंचायत/प्रखण्ड स्तर की वैसी प्राथमिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों में जहां अनुसूचित जाति की आबादी/सदस्य 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, में अध्यक्ष पद के साथ ही निदेशक पर्षद्/प्रबंध समिति में समुदाय की आबादी/सदस्यता के अनुपात के आधार पर समुदाय के पुरुषों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

3.1.2 राज्य को अपने संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियमों, नियमावली और सहकारी समितियों की उपविधियों में यथोचित संशोधन करके सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां (Best Practice) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमावली या देश तथा विदेशों में भी प्रचलित सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों (Best Practice) के संकलन का समर्थन करना।

3.1.3 राज्य को अपनी राज्य सहकारिता नीति का इस प्रकार से तैयार/सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे सहकारी समितियों के विकास के साझा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर सकें।

3.1.4 राज्य पंजीयक/निबंधक के कार्यालय (उनके संबंधित अधिनियमों में यथा उपबंधित) को कागज–रहित (Paperless) बनाने के लिए उनकी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने हेतु प्रोत्साहित करना जिससे :

3.1.4.1 सहकारी समितियों द्वारा निबंधक/पंजीयक कार्यालय के साथ किये जाने वाले सभी प्रकार के संवाद और पारस्परिक/अंतः क्रिया (Interaction) को वेब पोर्टल, ई–मेल मेसेजिंग, मोबाइल फोन आधारित मैसेज, इत्यादि जैसे ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा किया जाना।

3.1.4.2 सहकारी समितियों की राज्यक्षेत्र स्तरीय डेटाबेस स्थापित करना और उसे सहकारिता विभाग/मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित मौजूदा NCD के साथ रियल टाइम अपडेट हेतु एकीकृत करना।

3.1.5 राज्यक्षेत्र की कमजोर सहकारी समितियों के पुनरूद्धार हेतु संस्थागत प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.1.5.1 राज्य अन्तर्गत अक्रियाशील/मृतप्राय सहकारी समितियां जिनका पुनरुद्धार संभव न हो, के परिसमापन हेतु SOP तैयार करना ताकि परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का व्यवस्थित तरीके से निपटारा सुनिश्चित हो सके, जिससे सदस्यों एवं जमाकर्त्ताओं के हित की रक्षा की जा सके।

3.1.6 जहाँ कहीं सहकारी समितियों पर कॉरपोरेट से अधिक कर लगता हो, वहाँ उसे घटाकर बराबर या कम करना और सहकारी समितियों को कॉरपोरेट के लिए उपलब्ध सेक्टर विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों और रियायतों के लिए पात्र बनाना।

3.1.7 **"सरकार के समग्र दृष्टिकोण"** (Whole of Government approach) के आधार पर सहक्रिया **(Synergy)** हेतु सहकारी समितियों से संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का अभिसरण (Convergence) करना।

3.1.8 जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए बहुदेद्शीय प्राथमिक सहयोग समितियों/प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट कर प्राथमिकता देना तथा उनकी भूमिका को सशक्त करना और अच्छा प्रदर्शन करने वाली समितियों को प्रोत्साहित करना।

3.1.8.1 सहकारी समितियों को आधारभूत संरचना प्रदान करना एवं सहकारिता की भावना पर आधारित योजनाएं तैयार करना।

3.1.9 सहकारिता की भावना पर आधारित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम समितियों से सीखने को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर–वार और जिलावार राज्य स्तर से सहकारी समितियों की बेव पोर्टल द्वारा निरंतर रैंकिंग हेतु समग्र प्रदर्शन सूचकांक के विकास को प्रोत्साहित करना।

3.2 अन्य आर्थिक संस्थानों की तरह सुगम, किफायती वित्त और समान व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

3.2.1 किफायती ऋण संवितरित करने और लोकतांत्रिक स्वरूप बरकरार रखने के लिए त्रि–स्तरीय संरचना (बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक) को संरक्षित और प्रोत्साहित करना।

3.2.1.1 सहकारी समितियों, किसानों एवं ग्राहकों के लिए त्वरित वित्तीय सहायता एवं निकटतम पहुंच की सुविधा तथा बैंकों के क्षेत्रीय विकास के दृष्टिगत RBI की सहमति से राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन को बढ़ावा देना।

3.2.1.2 सहकारी बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिरता के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन, सुदृढ निवेश नीतियां, जोखिम और कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को IT System के माध्यम से अपनाने पर बल देना।

3.2.1.3 झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 एवं धनबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 में Fit and proper criteria & Technical आधार पर सृजित पदो के अतिरिक्त सहकारी समितियां अधिनियम, नियमावली तथा सहकारी बैंकों एवं सहकारी फेडरेशन की उपविधियों के अनुरुप बैंकों के कार्य संचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था की सुदृढता के दृष्टिकोण से झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक/जिला

केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्यालय एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यकता आधारित झारखण्ड सहकारिता सेवा एवं अवर सहकारिता सेवा/सम्वर्ग के पदाधिकारियों के पदों का सृजन एवं चिन्हितीकरण करना।

3.2.1.4 सहकारी बैंकों एवं सहकारी संघों/परिसंघों के बोर्ड में बैंकिंग, वित्तीय एवं विधि विशेषज्ञों जैसे पेशेवरों/पेशेवर निदेशकों की संख्या बढाना एवं आवश्यकतानुसार पदों का सृजन कर नियुक्ति करना।

3.2.2 सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशिता (Financial Inclusion) की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हुए व्यवहार्यता के आधार पर आच्छादित (Covered) न हुए प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति, प्रत्येक जिले में झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0/केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि0, धनबाद का एक–एक क्षेत्रीय कार्यालय और प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक शहरी सहकारी बैंक की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3.2.2.1 व्यवसाय बढाने के लिए सहकारी समितियों एवं सहकारी फेडरेशन को राज्य सरकार द्वारा अनुदान की जगह पर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहित करना तथा झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 धनबाद को आर्थिक रुप से सशक्त करने के लिए नीति का निर्माण करना।

3.2.2.2 सहकारी समितियां एवं सहकारी फेडरेशन विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर व्यवसाय कर सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी का प्रावधान करना।

3.2.3 सहकारी बैंकों को व्यवहार्यता के आधार पर प्रखण्ड स्तर पर नई शाखाएँ खोलने और वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं में विविधीकरण द्वारा अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए पहुँच और दायरा में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करना।

3.2.4 सहकारी बैंकों के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक के गठन तथा जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार बैंक की शाखाएं खोलने को बढ़ावा देना, ताकि उनकी वास्तविक क्षमता का उपयोग किया जा सके और समर्थन, क्षमता निर्माण, व्यावसायिकता (Professionalism), व्यावसायिक अवसर आदि प्रदान किए जा सकें।

3.2.4.1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना करना, इत्यादि।

3.2.5 बेहतर ग्राहक अनुभूति, बेहतर प्रचालन क्षमता और जोखिम एंव धोखाधड़ी निवारण हेतु सशक्त साइबर सुरक्षा रणनीति के लिए बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के स्वीकरण को प्रोत्साहित करना, जिसमें :

3.2.5.1 विभिन्न स्तरों पर सहकारी बैंकों के लिए कॉमन बैंकिग सॉफ्टवेयर।

3.2.5.2 ग्रामीण सहकारी बैंकों को साझा IT-infra प्रदान करने के लिए एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था का निर्माण। ग्रामीण सहकारी बैंकों को साझा IT-infra प्रदान करने के लिए एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था का निर्माण करना। राज्य में सहकारिता प्रभाग के सचिव/प्रधान सचिव की निगरानी में राज्य के शीर्ष

सहकारी संघों में सहकार प्रतिनिधि व सहकारिता प्रभाग के वरीय पदाधिकारियों की एक त्रि–स्तरीय समिति का गठन किया जाना जो राज्यहित में सहकारिता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सतत् अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

3.2.6 UCBs को सशक्त करने के लिए हाल ही में स्थापित इनके अम्ब्रेला संगठन (NUCFDC) को निम्नानुसार प्रोत्साहित करना :

3.2.6.1 UCBs को अपने ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का विकास और पेशेवर प्रबंधन करना।

3.2.6.2 UCBs की इक्विटी (Equity) को सब्सकाइब (Subscribe) करना।

3.2.6.3 अल्पकालिक तरलता/चलनिधि (Liquidity) के लिए सहायता करना।

3.2.6.4 ग्राहकों की सुरक्षा और नैतिकता, समानता, व्यावसायिकता (Professionalism), आदि को बढ़ावा देने के लिए नियमों और विनियमों को तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिए Reserve Bank of India (RBI) से Self-Regulatory Organization (SRO) का दर्जा प्राप्त करना, इत्यादि।

3.2.7 सरकारी कारोबार करने के लिए पात्र बनाने हेतु सहकारी बैंकों को सशक्त करने में सहयोग करना।

3.2.8 दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अतिरिक्त, सहकारी साख/क्रेडिट संरचना को प्रोत्साहित करना।

3.2.8.1 वर्षा आधारित एवं वन आधारित अनुसूचित जनजाति अर्थव्यवस्था के लिए ऋण पुनर्संरचना के अन्तर्गत लघु वनोपज जैसे–तेंदू पता, लाख/लाह, महुआ फूल, शहद, बांस, बेंत, साल बीज, करंज बीज, चिरौंजी, औषधीय पौधे, जडी–बूटियां आदि व्यवसाय के लिए सुगम एवं किफायती ऋण की व्यवस्था करना।

3.2.9 सहकारी ऋण संस्थानों राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB), बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (MPCS), कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ARDB) और भूमि विकास बैंक, आदि) की समस्याओं की समग्र समीक्षा करने और उन समस्याओं के समाधान सुझाने के साथ–साथ दीर्घकालिक ऋण एवं राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के जमा (Deposits) में वृद्धि हेतु रोडमैप की सिफारिश करने के लिए एक कार्यबल का गठन करना जिसमें सहकारी संघों के सहकार प्रतिनिधि भी शामिल हो।

3.2.9.1 सहकारी बैंक सहित सभी सहकारी समितियों के बीच आर्थिक विवाद के त्वरित निष्पादन हेतु उपयुक्त निकाय की स्थापना करना।

3.2.10 सहकारी समितियों के लिए आदर्श विस्तृत परियोजना रिपोर्टे (DPRs), व्यवसाय व्यवहार्यता अध्ययनों और बैंक योग्य परियोजना रिपोर्टे तैयार करने में मदद के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों को प्रोत्साहित करना।

3.2.11 केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों और दायरे का विस्तार करना और उसे कम से कम दरों पर राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों के लिए पूँजी की व्यवस्था करने के लिए समक्ष बनाना, ताकि वह राज्य की सहकारी समितियों को कम दरों पर ऋण दे सके।

3.3 : सहकारिता में सहकार को बढ़ाना, सहकारी संरचना को सशक्त करना और भौगोलिक पहुँच का विस्तार करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

3.3.1 सहकारी समितियों को आपसी लाभकारी शर्तों पर नई अवसंरचना (Infrastructure) के निर्माण और मौजूदा अवसंरचना को साझा करने के लए प्रोत्साहित करना, जो निम्नलिखित है :

3.3.1.1 जैविक उत्पाद प्रमाणन, गैर–खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएँ, मृदा परीक्षण सुविधाएँ, पशु चिकित्सा सेवाएँ, भंडारगारों, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों (जैसे मछली, सब्जी, आदि) के लिए शीतागार/शीतगृह (Cold Storage), प्रभावशाली आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, इत्यादि सहित खाद्य और बीज गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए साझा सेवाएँ प्रदान करने हेतु पंचायत/प्रखण्ड/जिला स्तर पर भौतिक अवसरंचना साझा करना।

3.3.1.2 प्रौद्योगिकी को अपनाने (Technology Adoption) में आने वाली उच्च लागत को कम करने के लिए साझा डिजिटल अवंसंरचना (जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आदि) के विकास को प्रोत्साहित करना।

3.3.2 सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने और उनका अनुकरण करने के लिए क्षेत्रीय (Sectoral) एवं राज्य स्तरीय परिसंघों को सहकारी क्षेत्र में प्रचलित इमेज Practice पर सक्सेस स्टोरीज (Success Stories) का संकलन करने हेतु प्रोत्साहित करना।

3.3.3 सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को सहकारी बैंकों में अपना बैंक खाता खोलने और वित्तीय सेवाएँ लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.3.4 किसान क्रेडिट कार्ड सहित बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की डोरस्टेप डिलिवरी हेतु MPCS के साथ–साथ अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों को झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लि0 के **'बैंक मित्र'** के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना।

3.3.5 आगामी पाँच वर्षों में आच्छादित/कवर न हुए सभी पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों और प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों तथा अन्य क्षेत्रीय/सेक्टोरल प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3.3.6 अपेक्षित संस्थागत और वित्तीय सहयोग प्रदान करके राज्य के सुदूर क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सशक्त करना और उनकी पहुँच को बढ़ाना।

3.3.7 अपने प्राथमिक सदस्यों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता देने की बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उपरी स्तरों के सहकारी संघों/परिसंघो के सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना।

3.3.8 प्राथमिक सहकारी समितियों, जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समितियों और राज्य स्तर के शीर्ष स्तर के सहकारी संघों/परिसंघों को IFFCO, KRIBHCO, NAFED, आदि जैसी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों और नवस्थापित राष्ट्रीय स्तर की तीन बहुराज्य सहकारी समितियाँ–NCOL, NCEL और BBSSL का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.3.8.1 राष्ट्रीय तर्ज पर गठित परिसंघों/संघों के अनुरुप राज्य के परिसंघों/संघों का गठन करना तथा झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन को सशख्त बनाना, जो सम्बद्ध सहकारी समितियों के लिए अम्ब्रेला का कार्य करे।

3.3.9 राज्य स्तर के परिसंघों/संघों को सहकारी क्षेत्र के पुनरूद्धार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनके द्वारा सहकारी समितियों में पारदर्शिता और सुशासन हेतु बेहतर कार्यप्रणाील (Best Practices) का विकास करने और उन्हें अपनाने एवं सहकारी क्षेत्र का समर्थन (Cooperative advocacy), जागरूकता और सदस्यों की शिक्षा के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सघन/सफल करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।

3.3.9.1 राज्य की इस नीति के अन्तर्गत निर्धारित सहकारिता लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहकारी संघों के सहकार प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यबल का गठन करना जो राज्य सरकार के मंत्रालय, विभाग एवं एजेन्सियों के साथ समन्वय कर इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

4. रणनीतिक मिशन स्तंभ II : जीवंतता को प्रोत्साहित करना :

राज्य की यह नीति सदस्यों को अधिक आय के लिए सहयोग तंत्र के रूप में सहकारी समितियों की जीवंतता और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरत की परिकल्पना करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रमुख मार्ग के रूप में यह जीवंत सहकारी इकोसिस्टम और उसके बहुआयामी विस्तार के प्रोत्साहन को चिन्हित करती है।

4.1 सहकारी व्यावसायिक इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

4.1.1. आत्मनिर्भर व्यवसाय सहयोग तंत्र के प्रोत्साहन द्वारा सहकारी व्यवसाय की वृद्धि और विकास के लिए जीवंत इकोसिस्टम के सृजन को बढ़ावा देना। यह तंत्र सुगम वित्त, व्यवसाय अनुसंधान और परामर्शी

सेवाओं जैसे विपणन, ब्रांडिंग, आदि के साथ–साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास और क्षमता निर्माण संस्थानों को सहयोग प्रदान करेगा।

4.1.2 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति को विकास इंजन के रूप में केन्द्रित कर राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श सहकारी गांव के विकास के लिए प्रोत्साहित करना। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्र (Business Verticals) के लिए सुशासन और व्यवसाय प्रबंध आचरणों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। जिले के अन्य गाँवों को सर्वप्रथम इस आदर्श गाँव की बराबरी करने और उसके पश्चात, राज्य में श्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.1.2.1 सरकारी योजनाओं का अभिसरण (Convergence) कर आदर्श सहकारी गांव के विकास के लिए प्रोत्साहित करना।

4.1.2.2 राज्य के प्रभावित खनन क्षेत्रों में District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT FUND) से सहकारी समितियों के लिए योजना के कार्यान्वयन एवं खनन समिति के गठन पर बल देना।

4.1.2.3 राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में सहकारी समितियों की भागीदारी बढाने पर बल देना।

4.1.2.4 परम्परागत पेशे से संबंधित मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का प्रखण्ड स्तर पर विलय करना एवं पंचायत स्तर पर उन समिति का गठन करना तथा उन समितियों में मितव्ययिता एवं सहकारी भावना से आजीविका का सृजन करने पर बल देना एवं गैर परम्परागत लोगों की इन समितियों में घुसपैठ को रोकना।

4.1.1.5 औपचारिक NTFP (Non-Timer Forest Products) मूल्य श्रृंखला सहकारी संस्थान एवं सहकारी नेतृत्व प्रसंस्करण संरचना के अन्तर्गत प्रखण्ड तथा जिला स्तर पर संबंधित प्राथमिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों/संघों का गठन कर आजीविका का सृजन करना।

4.1.3 शहद, मसाले, कॉफी, चाय औषधीय व सुगंधित पौधे, रेशम के कीट, फल, मशरूम, पोल्ट्री उत्पाद, इत्यादि जैसे विशिष्ट ग्रामीण उपज के लिए सहकारी आर्थिक क्लस्टरों को बढ़ावा देने हेतु राज्य के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।

4.1.4 सहकारी समितियों को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication), बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) और ट्रेडमार्क के माध्यम से विपणन के अवसरों को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.1.5 **"भारत"** नामक अंब्रेला ब्रांड के अधीन सभी जैविक, कृषि और डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग करने और राज्य क्षेत्र में स्थापित ब्रांड का भी लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.1.5.1 Jharkhand State Cooperative Product (JHASCOP) या झारखण्ड नैचुरल प्रोडक्ट्स के अम्ब्रेला ब्रांड नाम से राज्य के स्थानीय वनोपज उत्पादों को प्रचलित करना।

4.1.5.2 झारखण्ड राज्य को Geographical Indiction (GI) टैग प्राप्त विशिष्ट आदिवासी उत्पादों जैसे सोहराय–खोवार पेंटिंग, लाख/लाह, धातु कार्य, वस्त्र, वन आधारित शिल्प आदि के उत्पादन एवं विपणन बढाने हेतु राज्य स्तरीय Tribal Product Cooperatives की स्थापना करना तथा महासंघ GI पंजीकृत व अन्य आदिवासी उत्पादों को एकत्रित करके सामूहिक ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, थोक विपणन व ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म पर कनेक्ट करना/जोड़ना।

4.1.6 सहकारी समितियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे उनके ब्रांड का प्रदर्शन होगा और बाजारों तक पहुँच बढ़ेगी।

4.2. अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सहित बहुआयामी विस्तार को बढ़ावा देना और सदस्यों की आय में वृद्धि करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

4.2.1 निर्यात हब पहल के रूप में 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के अंतर्गत सहकारी समितियों को निर्यात योग्य उत्पादों की पहचान और संरेखन के लिए प्रोत्साहित करना।

4.2.1.1 राज्य के स्थानीय उत्पादों के विपणन एवं निर्यात हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर उपयुक्त निकाय की स्थापना करना।

4.2.2 डेयरी सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण के लिए **"श्वेत कांति 2.0"** हेतु डेयरी सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।

4.2.3 दुग्ध के क्षेत्र में क्लस्टर स्तर पर दुग्ध यूनियन/संघ की स्थापना करना।

4.2.4 ऐसे क्षेत्र, जहाँ मत्स्य पालन आजीविका का मुख्य स्रोत है, विशेषकर उन जिलों में जहाँ अवसंरचना कमजोर है, वहाँ मत्स्य बीज उत्पादन सहित मात्स्यिकी सहकारी समितियों के प्रोत्साहन पर बल देना एवं परम्परागत रुप से मत्स्यपालन की आजीविका से जुड़े समुदायों/व्यक्तियों के लिए इस तरह की विशेष प्रकार की समितियों में सदस्यता सुनिश्चित करने तथा गैर पारम्परिक पेशा वाले व्यक्तियों की घुसपैठी पर रोक लगाने के लिए नियम बनाना।

4.2.5 जैविक उत्पाद बाजार में अग्रणी बनने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

4.2.6 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सहकारी क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात एवं अन्तरराज्यीय विपणन को प्रोत्साहित करना और राज्य तथा देश के कुल विपणन एवं निर्यात में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

4.2.7 प्राथमिक सहकारी समितियों के किसान सदस्यों के माध्यम से मिलेट्स (Millets) उत्पादन को प्रोत्साहित करना और खाद्य एव पोषण सुरक्षा तथा इसे नियमित आहार का एक प्रमुख हिस्सा बनाने में लोकप्रिय करने के लिए NAFED, NCCF इत्यादि जैसे राष्ट्रीय सहकारी समितियों को इसकी खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.8 कृषि पद्धति (Cropping Pattern) में परिवर्त्तन करके सहकारी समितियों के किसान सदस्यों द्वारा दलहन, तिलहन और मक्का के उत्पादन में वृद्धि करना तथा दलहन व तिलहन में राज्य एवं देश को आत्मनिर्भर बनाने एवं आयात पर निर्भरता घटाने के लिए NAFED, NCCF इत्यादि जैसे राष्ट्रीय सहकारी समितियों को इसकी खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.9 कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को घटाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) को सहयोग देने हेतु सहकारी चीनी समितियों को मक्का सहित वैकल्पिक फीडस्टॉक का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.10 सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए पूंजी प्रवाह (Capital Infusion) द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण सहित मौजूद प्रसंस्करण क्षमताओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

4.2.11 आदिवासी मूल उत्पादों हेतु सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सरकारी खरीद का न्यूनतम कोटा आरक्षित करना।

4.2.12 सहकारी समितियों के दायरे में राज्य के कम–से–कम 01 (एक) करोड़ लोगों को शामिल करने के लिए आर्थिक संरचना का सृजन करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान को आगामी 10 वर्षों में तीन गुना करने का मार्ग प्रशस्त करने की सिफारिश के लिए एक कार्यबल का गठन करना।

5. रणनीतिक मिशन स्तंभ III : सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना :

सहकारी समितियों का डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) कम करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों (Latest Technologies) को अपनाने और अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने, अवसंरचना, उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक पेशेवर प्रबंधित आर्थिक संस्था बनाने की आवश्यकता है ।

5.1. प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी स्वीकरण को प्रोत्साहन :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

5.1.1 डेटा आधारित निर्णय लेने और बेहतर सेवा डिलिवरी के लिए को–ऑपरेटिव स्टैक (Cooperative Stack) तैयार करना और उसे विकसित कराने में सहायता करना। इस पहल का लक्ष्य सहकारी समितियों में उच्च–गुणवत्ता वाले डेटा का एकत्र/संग्रहण करना और नवाचार तथा नई सेवाओं के सृजन के लिए उसे हितधारकों को आसानी से उपलब्ध कराना है। इस स्टैक का विकास मौजूदा राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी डेटाबेस के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें अन्य उपयुक्त डेटाबेस भी शामिल किए जा सकते हैं तथा वर्तमान में विकासाधीन ''कृषि स्टैक'' (Agriculture Stack) के साथ इसका

(14) (98) (1213)

एकीकरण किया जा सकता है, जो अन्य बातों के अलावा, कृषि मंत्रालय/विभाग के डेटाबेस के साथ सहकारी बैंको के डेटा एकीकरण करके ब्याज अनुदान की रियल टाइम रिलीज में सुविधा प्रदान करना।

5.1.2. विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों की सहकारी समितियों के तकनीकी उन्नयन में सक्रिय सहयोग के लिए राष्ट्रीय/राज्य क्षेत्रीय (Sectoral) सहकारी परिसंघों को प्रोत्साहित करना।

5.1.3. अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुँच और उत्पादों का बेहतर दाम पाने के लिए सहकारी समितियों को Gem, ONDC जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफार्म का उपयोग बढ़ाना।

5.1.4. Gem पोर्टल के साथ–साथ ONDC (Open Network for Digital Commerce), E-NAM (National Electronic Agriculture Marketing) जैसे पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीदार के रुप में शामिल करना।

5.1.5. अन्य राज्यों के तौर पर झारखण्ड में भी सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन (Cooperative Marketing Federation) का गठन करना, जिसके माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यानों की खरीद की जा सके। साथ ही राज्य सरकार से अनुदान न प्राप्त करके वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय करे ताकि समिति/संघ आत्मनिर्भर बन सके।

5.1.6 बहुभाषी सहकारी दस्तावेजीकरण व सांस्कृतिक रुप से अनुकूलित संवाद के लिए राज्य की स्थानीय अनुसूचित जनजाति की भाषा में सहकारी/समिति के उपनियम, बैठक नोटिस, ऋण आवेदन व सदस्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता एवं अनुकूलित संवाद हेतु चित्रात्मक प्रस्तुति, मौखिक कार्यवाही, स्थानीय भाषा की सुविधा प्रदान करने हेतु बहुभाषी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। सहकारी समितियों में डिजिटल लेन–देन हेतु आवाज सक्षम (Voice Enabled) एवं चित्र आधारित (Pictorial) यूजर इंटरफेस लागू करना।

5.1.7 सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन, समितियों में युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी, समितियों के संचालन में पारदर्शिता एवं जबावदेही के नियम, साख संरचना को आसान बनाने, कृषि क्षेत्र की सहकारिता को मजबूत समर्थन, विपणन एवं निर्यात समर्थन, सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने, सहकारी समितियों में टेक्नॉलॉजी अपग्रेड को समर्थन, विधिक, शासन एवं नियामक रिफोर्म, PM-AASHA, PM-KISAN, FPO Policies के साथ समितियों का Integration, Disaster Support Mechanism, नये सहकारी क्षेत्रों के विकास आदि का मानक संचालन प्रकिया (SOP) तैयार करना।

5.1.8 सहकारी संस्थाओं हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर, अनुमंडल/अंचल स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) की स्थापना करना और इसके लिए मानक संचालन प्रकिया (SOP) तैयार करना।

5.1.8 सहकारी प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास (T & D) प्रभाग की स्थापना करना जिसकी इकाईयां क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्यरत हों। इसके तहत् इसकी कार्यप्रणाली राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) एवं सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) की रणनीतियों के अनुरुप विकसित की जाएगी, जिसमें प्रमाणित कौशल विकास संभव हो सके।

5.1.9 सहकारी समितियों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम छः माह के अंदर अंकेक्षण सम्पन्न हो। समितियों की लापरवाह प्रशासी इकाईयों के विरुद्ध अर्थ दण्ड एवं अनुशासनिक कार्रवाई हो, इसके लिए झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली में आवश्यक संशोधन करना।

5.1.10 सहकारी समितियों में सहकारी मित्र की नियुक्ति करना।

5.1.11 सहकारी समितियों/संघों/परिसंघों के द्वारा स्कूल, कॉलेज/स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के संचालन को प्रोत्साहित करना।

5.2. सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतों पर आधारित पेशेवर–प्रबंधित आर्थिक इकाई में रुपान्तरित करना :

उद्वेश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

5.2.1. उद्योग अभिमुखी (Industry Oriented) शिक्षा और आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण के लिए समेकित, मानकीकृत, और गुणवत्ता के प्रति सजग राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत संरचना के सृजन द्वारा सहकारी समितियों के संगठनात्मक प्रबंधन को पेशेवर बनने हेतु प्रोत्साहित करना। इसे एक शीर्ष संगठन की स्थापना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो :

5.2.1.1 राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के निकाय के रूप में कार्य करते हुए संबद्धता द्वारा सहकारी क्षेत्र की मौजूदा शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के अखिल भारतीय एवं राज्य के नेटवर्क का सृजन करेगा और शिक्षकों की नियुक्ति, प्रवेश मानदंड, अध्ययन सूची, पाठयक्रम, परीक्षा, इत्यादि को विनियमित करना तथा राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को सभी गुणवत्ता, आधुनिक एवं दक्षता प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना।

5.2.1.2 सहकारी क्षेत्र के लिए युवा और योग्य श्रमबल की स्थायी और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।

5.2.1.3 कौशल संबंधी पाठयक्रमों के संचालन के लिए मौजूदा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के साथ यथोचित रूप से तालमेल स्थापित करना।

5.2.1.4 सहकारी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठयक्रम व अध्ययन सूची तैयार करना।

5.2.1.5 सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संचालन और प्रोत्साहन करना।

5.2.1.6 सहकारी और निजी क्षेत्रों से प्रायोजित अनुसंधान/ट्रैक चेयर की प्रथा के संस्थानीकरण का प्रयास करना।

5.2.1.7 सहकारी क्षेत्र में केंद्रित और गुणवतापूर्ण शिक्षा, इंक्यूबेशन और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्रों का विकास करना।

5.2.1.8 आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने के लिए नए और उभरते क्षेत्रों में Social Enterprise Incubators (SEIs) को प्रोत्साहित करना।

5.2.2. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सहकारिता केंद्रित पाठयक्रमों को प्रोत्साहित करना।

5.2.3 सहकारी शिक्षा, कौशल विकास और सहकारिता के विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न प्रकार के पाठयक्रमों में सहकार–विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री को विभिन्न भारतीय भाषाओं में तैयार करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों के पास उपलबध सहकारी शिक्षा फंड (CEF) और इससे संबंधित भारत सरकार के अन्य मंत्रालय के पास उपलब्ध फंड के उपयोग को बढ़ावा देना।

5.2.4 शीर्ष सहकारी संगठनों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के लिए सहकारी क्षेत्र में नवाचार और इंक्यूबेशन को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत प्रणाली की स्थापना में सहायता प्रदान करना :

5.2.4.1 स्थानीय संसाधनों और साधनों पर आधारित सतत (Sustainable) और प्रगतिशील व्यवसाय आचरणों तथा प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार करना।

5.2.4.2 उभरते क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को इंक्यूबेट करना।

5.2.4.3 सहकारी क्षेत्र में उद्यम कौशल को प्रोत्साहित और प्रसारित करना।

5.2.5. मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण को एक अनिवार्य तत्व मानकर सहकारी समितियों को अपनी उपविधियों को संशोधित करके अपने बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों में कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, प्रबंधन विकास और अन्य संगठनात्मक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

5.2.6 नई सहकारी समितियों सहित सभी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए सहकारी सिद्धांतो और मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु समयबद्ध और एकरूपता से प्रयास करना।

5.2.7 ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शोधकर्त्ताओं एवं विद्वानों को सहकारिता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डॉक्टरेट और पोस्ट–डॉक्टरेट के दौरान अनुसंधान करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य सहकारी समितियों/परिसंघों को अनुसंधान फेलोशिप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

5.2.8 राज्य की सहकारी समितियों, परिसंघों और संघों को जमीनी स्तर पर सहकारी 'लर्निंग सेन्टर' की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना। इन केंद्रों की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए इनमें क्षमता निर्माण और एक्सटेंशन कार्यकलापों के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाना।

5.2.9 सदस्य सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए संघों/परिसंघों को मुख्य प्रदर्शन सूचकांक (Key Performance Indicators) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सहकारी समितियों की क्षमता की पहचान के लिए सेक्टोरल रेटिंग (Sectoral Rating) का विकास किया जाना।

5.2.10 प्रौद्योगिकी–समर्थित भर्ती सुधारों के माध्यम से उत्तरदायी शासन, नेतृत्व और कर्मियों की क्षमता को बढ़ावा देकर उच्च स्तरीय पेशेवरता को प्रोत्साहित करना।

(11) (95) (1140)

6. **रणनीतिक मिशन स्तंभ IV : समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार :**

राज्य की यह नीति समाज के सभी वर्गों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ–साथ युवाओं और महिलाओं को सहकारी तंत्र में शामिल किए जाने को प्राथमिकता देती है। यह सहकारिता को एक जन–आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी समितियों/संघों/परिसंघों की भागीदारी और सहभागिता की परिकल्पना करती है।

6.1. समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता का प्रोत्साहित करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

6.1.1 समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, आदि) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना।

6.1.2 मात्स्यिकी, डेयरी, हथकरघा, हस्तशिल्प, लघु वनोत्पाद जैसे क्षेत्रों में कमजोर सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त करना।

6.1.2.1 पर्यटन (Tourism) को–ऑपरेटिव सोसायटी, स्वास्थ्य (Health) को–ऑपरेटिव सोसायटी, प्रौढावस्था (Old age) को–ऑपरेटिव सोसायटी, अभिनय एवं कला (Acting & Art) को–ऑपरेटिव सोसायटी, हैंडिकाफ्ट को–आपरेटिव सोसायटी, दिव्यांग विकास को–ऑपरेटिव सोसायटी आदि विशेष प्रकार की सहकारी समितियों के गठन एवं विकास पर जोर देना।

6.1.3 लैंगिक (Gender), कमजोर वर्गों आदि पर विसमूहित डेटा (Disaggregated Data) के विकास में सहयोग करना और लक्षित इंटरवेंशन (Targeted Intervention) हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी डेटाबेस में उन्हें शामिल करने के लिए अनुशंसा करना।

6.1.4 सदस्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न स्तरों और सेक्टरों की सहकारी समितियों को निम्नलिखित हेतु मॉडल उपविधियाँ तैयार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना :

6.1.4.1 सदस्यों की सक्रिय प्रतिभागिता एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।

6.1.4.2 सदस्य केंद्रित फीडबैक एकत्रित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना और निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

6.1.4.3 महिलाओं और समुदाय के कमजोर वर्गों की सदस्यता सुनिश्चित करना।

6.1.4.4 निर्णय लेने में सदस्य केंद्रीयता सुनिश्चित करना।

6.1.4.5 पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त संगठनात्मक शासन सुनिश्चित करना।

6.1.4.6 विभिन्न पदों पर युवाओं और सुयोग्य श्रमबल की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना।

6.1.5 प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के सहकारी संघों/परिसंघों को निम्नलिखित हेतु प्रोत्साहित करना :

6.1.5.1 सदस्यों को उनके अधिकारों, कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षित, संवेदनशील और जागरूक करने के लिए सहकारी सिद्धांतो और मूल्यों पर आधारित प्रभावशाली और अनवरता (Continuous) सदस्य शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।

6.1.5.2 सदस्यों की उद्यम कौशलता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

6.1.5.3 सदस्यों की आय वृद्धि की दिशा में कार्य करने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।

6.1.5.4 राज्य में महिला स्वयं समूहों (SHGs) की सशक्त प्रस्थिति (Status) को सहकारी प्रणाली से जोडने हेतु MPCS को SHG महासंघों हेतु संस्थागत एंकर बनाने एवं महिला स्वयं समूहों को MPCS की औपचारिक सदस्यता के साथ मूल्य वर्धन परियोजनाओं हेतु NCDC के सहयोग से विशेष ऋण सुविधा की योजना बनाना। प्रसंस्करण, पैकेजिंग, हस्तशिल्प आदि में महिला स्वयं समूहों (SHGs) की भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.1.5.5 विशेष प्रकार की सहकारी समितियों के अन्तर्गत खेल विकास सहकारी समितियों का गठन करना तथा समितियों द्वारा खेल अवसंरचना के विकास एवं रख–रखाव, खेल आयोजनों का संचालन, प्रशिक्षण तथा अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान करने हेतु समितियों को विकसित एवं सशक्त करना।

6.2 जन आंदोलन के रूप में सहकारी समितियाँ :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

6.2.1 विभिन्न कक्षाओं के स्कूली पाठयक्रमों में सहकारिता को एक विषय के रूप में शामिल करना।

6.2.2 युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को सहकारी समितियों के लाभ से अवगत कराने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय संघों/परिसंघों को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके फलस्वरूप सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे सदस्यता में वृद्धि होगी :

6.2.2.1 सहकारी आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के लिए युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों में सामूहिक जागरूकता और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना।

6.2.2.2 गरीबों और सीमांत वर्गों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली Success Stories का प्रदर्शन करना और उन्हें प्रसारित करना।

6.2.2.3 Success Stories का प्रचार–प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी संघों/परिसंघों/समितियों की मौजूदा सोशल मीडिया आधारभूत संरचना (Infrastructure) एवं अन्य विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना।

7. रणनीतिक मिशन स्तंभ V : नए क्षेत्रों में विस्तार :

राज्य की यह नीति सहकारी समितियों को भविष्य में अपनी उपस्थिति और सदस्यों का आधार बढ़ाने के लिए उन्हें उपयुक्त नए और उभरते क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सहकारी समितियों को स्वच्छ उर्जा, सतत् (Sustainable), कृषि, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने जैसे सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पर्यावरण–अनुकूल प्रथाएं अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

7.1.1 प्राथमिक सहकारी समितियों को व्यवहार्यता के आधार पर वित्तीय और प्रचालनात्मक रूप से आत्मनिर्भर संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए बहुद्देशीय बना कर उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गोदामों, कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC), उचित मूल्य की दुकानों, LPG वितरक, पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेट, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के अधीन प्रचालन और रख–रखाव, इत्यादि जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।

7.1.1.1 नए और उभरते क्षेत्रों में यथा–किराना स्टोर, Gym, Salon, कोचिंग सेन्टर, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, Beauty Salon/Parlour, e-Commerce, Online Platforms पर उत्पाद विपणन, डेयरी, आउटलेट सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर/क्लिनिक, विभिन्न फ्रैन्चाइज, डीलरशीप लेना, ड्रोन आधारित कृषि सुविधा, Tourist Accomodation आदि में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना।

7.1.1.2 भूमिहीन श्रमिकों, सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, राजमिस्त्री श्रमिकों, प्लंबर एवं पेंटिंग श्रमिकों, इलेक्ट्रिक श्रमिकों, वन उत्पाद संग्रहण श्रमिकों आदि के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक श्रमिक सहयोग समितियां, प्रखण्ड स्तर पर केन्द्रीय श्रमिक सहयोग समितियां, जिला स्तर पर श्रमिक सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर राज्य श्रमिक सहकारी संघ का गठन करना एवं सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन एवं ठेका का काम श्रमिक सहकारी समितियों/संघों के माध्यम से करने का प्रावधान करना।

7.1.2 कार्यों में विविधता लाने और सदस्यों की आय को बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों के नए और उभरते क्षेत्र जैसे माइक्रो–बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, बायोगैस उत्पादन, मोबाइल एप्लिकेशन आधारित एग्रीगेटर सेवा प्रदाता (जैसे–टैक्सी चालकों, घरेलू सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों (जैसे–प्लंबर, बिजली मिस्त्री, आदि की सहकारी समिति), इत्यादि में सहकारी समितियों के प्रवेश को प्रोत्साहित और मजबूत करना।

7.1.3 राज्य के अधिशेष फसल उत्पादन वाले जिलों की MPCS में क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों यथा–दाल मिल, सब्जी निर्जलीकरण, फल पल्पिंग, चावल एवं आटा मिलिंग, मसाला मिल आदि की स्थापना कर कृषि मूल्य वर्धन के साथ ही रोजगार सृजन पर बल देना।

7.1.4 राज्य में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं संख्या बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महलाओं एवं अन्य पिछडे वर्गों के उत्थान एवं राज्य एवं देश के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यकतानुसार प्राथमिक एवं केन्द्रीय विशेष प्रकार की सहकारी समितियों तथा सहकारी संघों की स्थापना करना।

7.1.5 सहकारी समितियों/संघों के विवादों का त्वरित निष्पादन, उच्च–संभावित जिलों सौर उर्जा सहकारी समितियों का गठन, आदिवासी बहुल सहकारी समितियों में आदिवासी शासन एवं परम्परागत कानून की मध्यस्थता एवं समुदाय तथा संस्कृति आधारित निर्णय की समावेशिता, आदिवासी बहुल एवं वर्षा आधारित क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए अद्वितीय/विभेदक प्रदर्शन मानक (Unique Performance Standards) स्थापित करना, सहकारी समितियों में महिला सदस्यों की भागीदारी के साथ ही डेटा–सिद्ध समावेशिता आदि के लिए SOP तैयार कर कार्यान्वित करना।

7.2 सततता (Sustainability) हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) और पर्यावरण अनुकूल आचरणों को प्रोत्साहन :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

7.1.2 डिजिटलीकरण और Internet of Things (IoT), ब्लॉक चैन, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, आदि जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज (Disruptive Technologies) को अपनाकर चक्रीय अर्थव्यवस्था के आचरणों को अपनाने के लिए उन्हें निम्नलिखित रूप से प्रोत्साहित करना :

7.2.1.1 सहकारी क्षेत्र में पायलट परियोजना के रूप में अपनाए जाने लायक ऐसे मामलों की व्यावहारिकता के आकलन को प्रोत्साहित करना।

7.2.2 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों के किसान सदस्यों को जलवायु अनुकूल पद्धति (Copping Pattern) अपनाने और अपने खेतों के मेड़ों पर सौर, पवन, इत्यादि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंट घटाने और जलवायु जोखिमों की रोकथाम पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।

7.2.3 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों के माध्यम से जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, कृषि वानिकी, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने को प्रोत्साहित करना। इस संबंध में सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना।

7.2.4 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से गाँवों में बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

2.5 झारखण्ड के कोयला आधारित एवं अन्य खनन जिलों/क्षेत्रों में खदान बंदी व आर्थिक संक्रमण की चुनौती को देखते हुए, खनन प्रभावित क्षेत्रों में Just Transition Cooperatives की स्थापना करने पर बल देना। इन सहकारी इकाइयों में नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन, बायोगैस), कृषि–वानिकी एवं पारिस्थितिकी बहाली तथा कौशल विकसित कर हरित उद्योगों व सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल करना तथा इन सहकारी इकाइयों को परियोजना पूंजी, प्रशिक्षण और राजस्व प्राप्ति हेतु समर्थन प्रदान करना।

8. रणनीतिक मिशन स्तंभ VI : सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना :

सहकारी समितियों की Success Stories और सहकारिता के क्षेत्र की बड़ी हस्तियों की जीवनियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मूल्यों और सिद्धांतो और सहकारी समितियों की कार्यशैली की उचित समझ को विकसित करने के लिए अनुभव आधारित सहकारी ज्ञान (Experiential Learning) प्रदान करना तथा सहकारी इतिहास, कानून, ऑडिट और लेखांकन, वित्त, शासन और प्रचालन जैसे विभिन्न डोमेन एवं सहकार–केंद्रित व्यवसाय प्रबंधन में पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, सहकारी क्षेत्र में अर्थपूर्ण नियोजन के लिए इसमें ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना और उसे उन्नत करना भी शामिल है। शीर्ष सहकारी संस्थाएं और उनसे संबद्ध संस्थाएँ इस स्तंभ के अंतर्गत सभी कार्यकलापों का नेतृत्व करेंगी।

8.1. युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

8.1.1 सम्मेलनों, कार्यशालाओं, नाटकों, फिल्मों और विडियो के माध्यम से तथा विद्यालयों, कॉलेजों व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सफलता की कहानियाँ साझा कर जिला स्तर पर युवाओं को राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जोड़ना और इसे विकसित बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह शीर्ष सहकारी संगठन, राष्ट्रीय /राज्य संघ एवं परिसंघों सहित राज्य स्तरीय सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से इस पहल को आगे बढ़ाएगा।

8.1.2 सहकारी समितियों के प्रबंधन को पेशेवर रूप से चलाने के लिए भावी सहकारी नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

8.2.1 राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय सहकारी समितियों, संघों एवं परिसंघों, आदि सहित हितधारकों के साथ बहुस्तरीय परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाणन पाठयकमों के साथ–साथ डिप्लोमा और डिग्री कार्यकमों के लिए सहकार केंद्रित पाठयकमों की पहचान करना, तैयार करना और उनका विकास करना। इससे

ये सुनिश्चित होगा कि पाठयक्रम की समाप्ति पर छात्र, रोजगार के लिए तैयार हों और सहकारी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और कौशल के अनुसार उचित नौकरी/रोजगार प्राप्त कर सकें।

8.2.2 सहकारिता के पाठयक्रमों को सभी के लिए सुगम बनाने हेतु डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शीर्ष संगठन द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा, डिग्री और प्रमाणन पाठयक्रम भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

8.3 सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल उन्नयन के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को बढ़ावा देना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

8.3.1 सहकारी समितियों में तकनीकी और गैर–तकनीकी नौकरियों के लिए बुनियादी स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रम प्रदान करने वाले केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व या उनके द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों का एक डेटाबेस बनाना।

8.3.2 साझेदारी/समझौता ज्ञापनों के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास संस्थाओं के राज्य एवं अखिल भारतीय इकोसिस्टम का विकास करना।

8.3.3 ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार–योग्य बनाने के लिए उनमें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना।

8.4 सहकारी क्षेत्र में अंशकालिक विषय विशेषज्ञों (Part Time Resource Person), उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय के रूप में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

8.4.1 संबद्ध संस्थानों के लिए अतिथि संकाय और अंशकालिक विषय विशेषज्ञों सहित विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के लिए एक मानकीकृत भर्ती प्रक्रिया और पात्रता शर्तों (जैसे–शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, आदि) का विकास करना और सिफारिश करना।

8.4.1.1 सहकारी क्षेत्रों में पूर्णकालिक अधिकारियों एवं कर्मियों की पर्याप्त नियुक्ति एवं उनका प्रबंधन करना।

8.4.2 संबद्ध संस्थानों में शिक्षण कर्मियों के विभिन्न स्तरों के लिए यथोचित और आकर्षक वेतन संरचना तैयार करना।

8.4.3 सहकारी क्षेत्र में मौजूदा शिक्षकों और अनुदेशकों की शैक्षिक क्षमता बढ़ाते हुए एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से नए प्रमाणित/प्रशिक्षित शिक्षकों और अनुदेशकों का समूह बनाना।

8.4.4 सहकारी शिक्षकों, अनुदेशकों, विषय विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों सहित उनके स्थान, अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित सूचना का राज्य एवं राष्ट्रव्यापी डेटाबेस स्थापित करना।

8.5 सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढ़ने की प्रक्रिया को सरल करके सुविधाजनक इकोसिस्टम का विकास करना :

उद्देश्य प्राप्ति की रणनीतियाँ :

8.5.1 शीर्ष सहकारी संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य डिजिटल सहकारी रोजगार प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रबंधन करना। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों के साथ–साथ रोजगार की माँग (रोजगार ढूंढ़ने वाले छात्रों से) का ऑनलाईन पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा।

9. निगरानी और कार्यान्वयन संरचना :

9.1 इस नीति का कार्यान्वयन सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना पर आधारित होगा।

9.2 सहकारी संरचना को देखते हुए इस नीति के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकार के प्रशासनों, राष्ट्रीय एवं राज्य की सहकारी समितियों/संघों/परिसंघों से सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी। इसमें सेक्टोरल विकास संस्थान जैसे NABARD, NDDB, NFDB इत्यादि भी शामिल है।

9.3 इस नीति का प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय /विभाग में एक **"कार्यान्वयन प्रकोष्ठ"** स्थापित किया जाएगा, जिसे संबंधित विषय, दस्तावेजीकरण, समन्वय, निगरानी, रिपोर्टिंग, इत्यादि पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

9.4 इस नीति के आधिकारिक रूप से जारी होने के तुरंत बाद ही नीति कार्यान्वयन की एक व्यापक कार्ययोजना के साथ सिफारिशवार समयावधि को अंतिम रूप दिया जाएगा।

9.5 इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित द्वारा एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जाएगी :

9.5.1 समग्र मार्गदर्शन, अंतर मंत्रालयीय/अन्तरविभागीय समन्वय, नीति की आवधिक समीक्षा, आदि के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में **'राज्य सहकारी नीति संचालन समिति"** का गठन किया जाएगा। इस समिति में सदस्य के रूप में राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों झारखंड को–ऑपरेटिव संघ लि0 को शामिल किया जा सकता है।

9.5.2 केंद्र–राज्य समन्वय, कार्यान्वयन समस्याओं का समाधान, आवधिक निगरानी और समीक्षा, आदि के लिए सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में **"राज्य सहकारिता नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति"** का गठन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के संबंधित अन्तरविभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों/अपर

(5)

88
33

सचिवों/नीति आयोग के प्रतिनिधि/निबंधक, सहयोग समितियां/राज्य सहकारी संघों/परिसंघों/समितियों/NABARD/ NDDB/ NFDB/ NCCT/ VAMNICOM इत्यादि के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।

9.5.3 सहकारिता नीति एवं योजनाओं का प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास कोषांग (TCDC) एवं जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) का गठन किया जाएगा।

02-02-2026

(मुकेश कुमार)
वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी,
कार्यालय–जिला अंकेक्षण पदाधिकारी,
स0 स0, रांची–सह–सदस्य

2.2.26

(अरविन्द कुमार)
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी
कार्यालय–संयुक्त निबंधक, स0
स0, द0 छो0 प्रमंडल, रांची
सह–सदस्य

(विनय कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
दि धनबाद सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव
बैंक लि0, धनबाद–सह–सदस्य

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0,
रांची–सह–सदस्य

02/02/2026

(श्वेता गुडिया)
प्रमंडलीय विशेष पदाधिकारी
(उपभोक्ता), उत्तरी छोटानागपुर
प्रमंडल, हजारीबाग–सह–सदस्य

Abhinav Mishra 2/2/2026

(अभिनव मिश्रा)
व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण
केन्द्र, रांची–सह–सदस्य

02/02/2026

(सत्यइन्द्र चौहान)
अध्यक्ष
झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0,
रांची–सह–सदस्य

02-02-2026

(मो0 सरफराज)
क्षेत्रीय प्रबंधक
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम,
रांची–सह–सदस्य

2.2.26

(कामदेव दास)
संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची
सह–अध्यक्ष.

नीति प्रारूप पृ० सं० 01 से 39 तक अनुमोदित।

निबंधक
सहयोग समितियाँ
झारखण्ड, राँची